पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय

समक्ष:- प्रमोद कोहली, ज.

2008 का सीडब्ल्यूपी नंबर 15037

डी/डी 14.9.2010.

बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड - याचिकाकर्ता

बनाम

स्थायी लोक अदालत (पीयूएस), गुड़गांव - प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के लिए:- श्री आरके अग्रवाल, अधिवक्ता।
प्रतिवादी संख्या 1 के लिए:- कोई नहीं।
प्रतिवादी संख्या 2 के लिए:- श्री पीआर यादव, अधिवक्ता।

निर्णय

प्रमोद कोहली. ज. (मौखिक) - यह याचिका निजी क्षेत्र में काम करने वाली बीमा कंपनी बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर की गई है, जिसमें स्थायी लोक अदालत (पीयूएस), गुड़गांव द्वारा दिनांक 10.7.2008 को पारित आदेश पर सवाल उठाया गया है, जिसके तहत वाहन को हुए नुकसान के लिए प्रतिवादी नंबर 2 के दावे की अनुमति दी गई है। तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पर संक्षेप में गौर करना उपयोगी हो सकता है। गुड़गांव निवासी चुन्नी लाल का पुत्र रमेश कुमार वाहन महिंद्रा स्कॉर्पियो का मालिक था, जिसका पंजीकरण नंबर एचआर-26-एए-0485, मॉडल 2005 था। इस वाहन को याचिकाकर्ता-कंपनी से 1.6.2007 से 31.5.2008 की अवधि के लिए रु. 14, 201/- सुनिश्चित की गई राशि के प्रीमियम के भुगतान पर व्यापक रूप से सुनिश्चित किया गया था। रु. 4.95 लाख पूरी सुनिश्चित की गई थी. 5.10.2007 को यानी पॉलिसी की अवधि के दौरान पंजीकृत मालिक ने प्रतिवादी संख्या 2 को वाहन बेच दिया। वाहन के हस्तांतरण के लिए

राज्य परिवहन प्राधिकरण से संपर्क किया गया और वाहन का पंजीकरण प्रतिवादी संख्या 2 के नाम पर स्थानांतरित कर दिया गया। 19.1.2008/20.1.2008 की मध्यरात्रि को उपरोक्त वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस संबंध में पुलिस स्टेशन सेक्टर 10, गुड़गांव में एक प्राथमिकी दर्ज की गई। दुर्घटना में वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और यह घोषित किया गया कि कुल क्षति मरम्मत से परे है। याचिकाकर्ता-कंपनी ने नुकसान का आकलन करने के लिए एक सर्वेक्षक नियुक्त किया। सर्वेक्षक द्वारा जांच के दौरान, यह पाया गया कि भले ही वाहन का पंजीकरण प्रतिवादी नंबर 2 के नाम पर है, हालांकि, रमेश कुमार नामक व्यक्ति वाहन के संबंध में बीमाकृत व्यक्ति था। बीमा कंपनी ने वाहन को हुए नुकसान के संबंध में दावे का भुगतान नहीं किया, जिससे प्रतीत होता है कि प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने आवेदन दिनांक 15.3.2008 के माध्यम से स्थायी लोक अदालत (पीयूएस), गुड़गांव के समक्ष याचिका दायर करने के लिए प्रेरित किया। स्थायी लोक अदालत ने अपने आदेश दिनांक 10.7.2008 के तहत प्रतिवादी संख्या 2 को आईडीवी का 36% कम देकर वाहन को हुए नुकसान के दावे की अनुमति दी, जिसके लिए प्रतिवादी संख्या 2 ने कार्यवाही के दौरान सहमति व्यक्त की। राशि आदेश की तिथि से 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

2. आदेश को चुनौती देने का एकमात्र आधार यह है कि पूर्व मालिक (बीमाधारक) के नाम पर बीमा पॉलिसी प्रतिवादी नंबर 2 के नाम पर स्थानांतरित नहीं की गई है, बीमा पॉलिसी के तहत वाहन को हुए नुकसान के लिए कोई दावा देय नहीं है या यहां तक कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 157 के तहत भी।

3. उठाए गए तर्कों के समर्थन में, याचिकाकर्ता-कंपनी ने एआईआर 1996 सुप्रीम कोर्ट 586 के रूप में रिपोर्ट किए गए एक मामले पर भरोसा किया है, जिसका शीर्षक मेसर्स कंप्लीट इंसुलेशन (पी) लिमिटेड बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार व्यवस्था दी:-

"इसमें कोई संदेह नहीं है कि उक्त अध्याय तीसरे पक्ष के जोखिमों को कवर करने के लिए वाहनों के अनिवार्य बीमा का प्रावधान करता है। धारा 146 सार्वजनिक स्थान पर किसी वाहन के उपयोग पर रोक लगाती है जब तक कि उस वाहन के उपयोग के संबंध में कोई पॉलिसी लागू न हो बीमा उस अध्याय की आवश्यकताओं का अनुपालन करता है। इस प्रावधान का कोई भी उल्लंघन दंडात्मक कार्रवाई को आकर्षित कर सकता है। संपत्ति के मामले में, कवरेज तीसरे पक्ष यानी बीमाधारक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति तक फैली हुई है। यह धारा 147(1) (बी) (i) से स्पष्ट है जो स्पष्ट रूप से तीसरे पक्ष की किसी भी संपत्ति को नुकसान को संदर्भित करता है और स्वयं 'बीमाधारक' की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाता है और तीसरे पक्ष की संपत्ति के नुकसान के लिए निर्धारित दायित्व की सीमा रुपये केवल छह हजार है जैसा कि पहले बताया गया है। यही कारण है कि धारा 165 के तहत गठित दावा न्यायाधिकरण को भी मोटर वाहनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाली व्यक्तियों की मृत्यु या शारीरिक चोट से संबंधित दुर्घटनाओं के संबंध में मुआवजे के दावों पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र दिया गया है या किसी तीसरे पक्ष की किसी संपत्ति को होने वाली क्षति, या दोनों। यहां भी यह तीसरे पक्ष की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने तक ही सीमित है, न कि बीमाधारक की संपत्ति को। इस प्रकार, नए अधिनियम का संपूर्ण अध्याय XI केवल तीसरे पक्ष के जोखिमों

से संबंधित है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि बीमा केवल तीसरे पक्ष के जोखिमों के संबंध में अनिवार्य है क्योंकि धारा 146 सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन के उपयोग पर रोक लगाती है जब तक कि उसके संबंध में अध्याय XI की आवश्यकताओं का अनुपालन करने वाली बीमा पॉलिसी न हो। इस प्रकार, उस अध्याय की आवश्यकताएं केवल तीसरे पक्ष के जोखिमों के संबंध में हैं और इसलिए नए अधिनियम की धारा 157 की कल्पना यहीं तक सीमित होनी चाहिए। इसलिए, निर्धारित फॉर्म में जारी किया जाने वाला बीमा प्रमाणपत्र (केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 141 के तहत निर्धारित फॉर्म 51 देखें) तीसरे पक्ष के जोखिमों से संबंधित होना चाहिए। चूंकि इस संबंध में नए अधिनियम और पुराने अधिनियम के तहत प्रावधान तीसरे पक्ष के संबंध में दायित्व के संबंध में काफी हद तक समान हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कोंडाईह के मामले में निर्णय के आधार पर लिया गया दृष्टिकोण सही था क्योंकि विचाराधीन वाहन के लिए स्थानांतरित-बीमित व्यक्ति को तीसरा पक्ष नहीं कहा जा सकता है। यह केवल तीसरे पक्ष के जोखिमों के संबंध में है कि नए अधिनियम की धारा 157 में यह प्रावधान है कि बीमा प्रमाणपत्र और उसमें वर्णित बीमा पॉलिसी को "उस व्यक्ति के पक्ष में स्थानांतरित माना जाएगा जिसे मोटर वाहन हस्तांतरित किया गया है।" यदि बीमा की पॉलिसी अन्य जोखिमों को भी कवर करती है, उदाहरण के लिए, बीमाधारक के वाहन को हुई क्षति, तो यह नए अधिनियम के अध्याय XI के बाहर और अनुबंध के दायरे में आने वाला मामला होगा जिसके लिए दोनों के बीच एक समझौता होना चाहिए। बीमाकर्ता और हस्तांतरिती, वाहन के जोखिम या क्षति को कवर करने का पूर्व वचन। वर्तमान मामले में चूंकि ऐसा कोई समझौता नहीं था और चूंकि बीमाकर्ता ने बीमा की पॉलिसी को

स्थानांतरित व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया था, इसलिए बीमाकर्ता वाहन को हुए नुकसान की भरपाई के लिए उत्तरदायी नहीं था। इसलिए राष्ट्रीय आयोग द्वारा लिया गया दृष्टिकोण सही है।"

4. इसके विपरीत, प्रतिवादी नंबर 2 की ओर से यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता तथ्यों को छिपाने का दोषी है। प्रतिवादी संख्या 2 के अनुसार, याचिकाकर्ता ने वाहनों के हस्तांतरण के संबंध में जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा जारी 1994 के परिपत्र का खुलासा नहीं किया है। उक्त सर्कुलर भारतीय मोटर टैरिफ विनियम का हिस्सा है।

5. जहां तक सर्कुलर के संबंध में उत्तरदाताओं के तर्क का सवाल है, हालांकि, उत्तर में ऐसे किसी भी सर्कुलर का कोई विवरण नहीं दिया गया है, हालांकि, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली के संशोधन याचिका में पारित फैसले पर भरोसा किया गया है। 2002 की संख्या 556 जिसका शीर्षक श्री नारायण सिंह बनाम न्यू इंडियन एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है।

6. उपरोक्त फैसले में आयोग ने भारत मोटर टैरिफ विनियमों के जीआर 10 पर भरोसा करते हुए फैसला सुनाया कि ट्रांसफरी भी दावे का हकदार है, भले ही बीमा पॉलिसी किसी वाहन के ट्रांसफरी के नाम पर ट्रांसफर नहीं की गई थी। हालाँकि, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने संशोधित इंडिया मोटर टैरिफ को मेरे ध्यान में लाया है जो पहले के टैरिफ को हटा देता है जो 30.6.2002 तक अस्तित्व में था। बीमा अधिनियम, 1938 के प्रावधानों के तहत जारी संशोधित भारतीय मोटर टैरिफ के तहत, जीआर 17 हस्तांतरण से संबंधित है। इस प्रकार, नए स्थानांतरण प्रावधान इस प्रकार हैं:-

"जीआर 17. स्थानान्तरण.

स्वामित्व के हस्तांतरण पर, केवल देयता कवर, या तो केवल देयता पॉलिसी के तहत या पैकेज पॉलिसी के तहत, हस्तांतरण की तारीख से उस व्यक्ति के पक्ष में स्थानांतरित माना जाता है जिसे मोटर वाहन हस्तांतरित किया गया है।

हस्तांतरिती वाहन का बीमा कराने वाले बीमाकर्ता को रिकॉर्डेड डिलीवरी के तहत हस्तांतरण की तारीख से चौदह दिनों के भीतर वाहन के पंजीकरण, वाहन के हस्तांतरण की तारीख, वाहन के पिछले मालिक के विवरण के साथ लिखित रूप में आवेदन करेगा और बीमा पॉलिसी की संख्या और तारीख ताकि बीमाकर्ता अपने रिकॉर्ड में आवश्यक बदलाव कर सके और बीमा का नया प्रमाणपत्र जारी कर सके।

पैकेज पॉलिसियों के मामले में, ट्रांसफरी के पक्ष में पॉलिसी के "ओन डैमेज" सेक्शन का ट्रांसफर, ट्रांसफरकर्ता की सहमति के साथ ट्रांसफरी से एक विशिष्ट अनुरोध प्राप्त होने पर ही बीमाकर्ता द्वारा किया जाएगा। यदि ट्रांसफरी पॉलिसी पर दिखाए गए नो क्लेम बोनस (एनसीबी) के लाभ का हकदार नहीं है, या पॉलिसी में मौजूद एनसीबी के कम प्रतिशत का हकदार है, तो ट्रांसफरी की पात्रता के बीच अंतर की वसूली, यदि कोई हो, और जो पॉलिसी पर दर्शाया गया है, वह स्थानांतरण प्रभावी करने से पहले किया जाएगा।

केवल देयता और पैकेज पॉलिसियों दोनों के संबंध में अंतरिती से विधिवत पूरा किया गया एक नया प्रस्ताव फॉर्म प्राप्त किया जाना है।

पैकेज पॉलिसी का हस्तांतरण अंतरिती के नाम पर केवल बिक्री के स्वीकार्य साक्ष्य और विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित नया प्रस्ताव फॉर्म मिलने पर ही किया जा सकता है। वाहन के लिए बीमा का पुराना प्रमाण पत्र, सरेंडर करना आवश्यक है और रुपये का शुल्क देना होगा। स्थानांतरित व्यक्ति के नाम पर नया प्रमाणपत्र जारी करने के लिए 50/- शुल्क लिया जाना है। यदि किसी भी कारण से, बीमा का पुराना प्रमाणपत्र सरेंडर नहीं किया जा सकता है, तो बीमा का नया प्रमाणपत्र जारी करने से पहले हस्तांतरिती से इस आशय की एक उचित घोषणा ली जानी चाहिए।"

7. राष्ट्रीय आयोग के फैसले पर भरोसा पहले के स्थानांतरण प्रावधानों के आधार पर किया गया था जी.आर. 10 जो 30.6.2002 तक लागू थे और उसके बाद उपर्युक्त स्थानांतरण प्रावधानों को शामिल किया गया है। उपर्युक्त जीआर 17 हस्तांतरणकर्ता के लिए वाहन के बीमाकर्ता को वाहन के पंजीकरण का विवरण, वाहन के हस्तांतरण की तारीख का विवरण देते हुए स्थानांतरण की तारीख से 14 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में आवेदन करना अनिवार्य बनाता है। पिछले मालिक, पॉलिसी का विवरण और साथ ही बिक्री का साक्ष्य और विधिवत भरा और हस्ताक्षरित नया प्रस्ताव फॉर्म। उसे पुराना प्रमाणपत्र सरेंडर करना होगा और स्थानांतरित व्यक्ति के नाम पर नया प्रमाणपत्र जारी करने के लिए रु 50/- का शुल्क भी देना होगा। इस प्रकार, ट्रांसफ़री के पक्ष में कोई स्वचालित हस्तांतरण नहीं है जिससे वह ट्रांसफ़री के हाथों वाहन को हुए नुकसान का लाभ ले सके, हालांकि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 157 के तहत बीमा तीसरे पक्ष के लिए उत्तरदायी है। जहां तक तीसरे पक्ष के प्रति दायित्व का संबंध है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1999(2) आरसीआर (सिविल) 489: एआईआर 1999 सुप्रीम कोर्ट 1398 के रूप में

रिपोर्ट किए गए एक मामले में इस स्थिति को स्पष्ट किया है, जिसका शीर्षक जी. गोविंदन बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य है, जिसमें यह फैसला सुनाया गया है कि जहां दुर्घटना बीमा पॉलिसी हस्तांतरित किए बिना स्थानांतरित व्यक्ति के हाथों में वाहन के कारण होती है, बीमाकर्ता स्थानांतरण के गैर-संचार के बावजूद पीड़ित को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है।

8. उपरोक्त कानूनी स्थिति को देखते हुए यह याचिका स्वीकार की जाती है। स्थायी लोक अदालत द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाता है और प्रतिवादी क्रमांक 2 की दावा याचिका खारिज की जाती है। लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में।

याचिका मंजूर।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रीतिका शर्मा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
करनाल, हरियाणा